

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 14/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. माधु पिता मांगु सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. मु0 रोड़ी बैवा मांगु सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता उदा सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. भईया पिता उदा सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. हीरालाल पिता चतरु सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. गणपत पिता चतरु सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
5. मु0 सोनी बैवा चतरु सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
6. प्रहलाद पिता अमरा सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. प्रभुलाल गोद पिता मोहनलाल सालवी निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
8. नारायण पिता हजारी बलाई निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
9. हरजी पिता उकार बलाई निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
10. सीताराम पिता उकार बलाई निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
11. मिटु पिता उकार बलाई निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
12. मोहनी पत्नि उकार बलाई निवासी मैलुनी-गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

---विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-25.02.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मैलुनी, पटवार क्षेत्र मैलुनी, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 604/2848/2 रकबा 0.10 है0, 957/1 रकबा 0.01 है0, 997/2 रकबा 0.0440 है0, 1128/2 रकबा 0.09 है0, 1129/2 रकबा 0.03 है0, 1130/2 रकबा 0.04 है0, 1969/2 रकबा 0.0070 है0, 2137/1 रकबा 0.0050 है0, 2154/1 रकबा 0.0120 है0 कुल कित्ता 9 रकबा 0.3380 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 114 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम मैलुनी, पटवार क्षेत्र मैलुनी, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 604/2848/2 रकबा 0.10 है0, 957/1 रकबा 0.01 है0, 997/2 रकबा 0.0440 है0, 1128/2 रकबा 0.09 है0, 1129/2 रकबा 0.03 है0, 1130/2 रकबा 0.04 है0, 1969/2 रकबा 0.0070 है0, 2137/1 रकबा 0.0050 है0, 2154/1 रकबा 0.0120 है0 कुल कित्ता 9 रकबा 0.3380 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण को देना करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर (भीलवाडा)

(हस्ताक्षर अधिकार देने वाला/देने वाले)

अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं मैं पहचानता अथवा अधिकार पत्र देने वाला/ वाले वे ही व्यक्ति है जिसके लिये मैंने विश्वास कर लिया है।

पैरवी स्वीकार है

हस्ताक्षर वकील

नाजेरा

lammy

ता. 22 माह 01 सन् 2019